राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र– जिंदोली

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय दिनांक
128/09	11.06.2009	23.05.2018

अनुवान

1. भगवत पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर।
2. कौशल्या देवी पत्नी रामफल जाति गुर्जर निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर।

:–वादीगण

बनाम

1. बरजी पत्नी शुभराम
2. मेवा पत्नी रतिराम
3. सुनीता पत्नी पूरण जाति गुर्जरान निवासीयान बेहरोज तहसील मुण्डावर
4. राधूराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर
5. तहसीलदार महोदय, (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर
6. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ततारपुर तहसील मुण्डावर।

:–प्रतिवादीगण

दावा–खाता विभाजन
मय हु0ई0दवामी

–::अन्तिम पर्चा डिक्री::–

दिनांक:– 23.05.2018

उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 23.05.2018 को **श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी ख0 नं0 1974/1.35, 2176/0.45 है0 वाके ग्राम बेहरोज तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ''प्रदर्श–अ'' निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23.05.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner